UPAD010015102026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 प्रयागराज।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 642/2026

1. धर्मराज पुत्र उमाशंकर
2. रामराज पुत्र उमाशंकर
3. शेषमणि पुत्र अवधनारायण उर्फ नन्हे
4. जसवन्द पुत्र अवधनारायण उर्फ नन्हे
5. नीरज यादव पुत्र शेषमणि

समस्त निवासीगण–मखदूमपुर, थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज।

.....अभियुक्तगण।

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

अपराध संख्या–277/2024
धारा–191(2),115(2),352, 351(2),333,
117(सी),110 भा.न्या.सं.
थाना सरायममरेज, जिला प्रयागराज।

दिनांक–12.03.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. धर्मराज, 2. रामराज, 3. शेषमणि, 4. जसवन्त एवं 5. नीरज** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र अपराध सं.–277/2024, धारा– 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 117(सी), 110 भारतीय न्याय संहिता (संक्षेप में भा.न्या.सं.), थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र में कथन है कि उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है और न ही वहाँ पर लम्बित है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्तगण ने स्वयं के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्को को सुना एवं प्रार्थनापत्र व सम्बन्धित दाण्डिक वाद पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना में अभिकथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को मुकदमा उपरोक्त में बिल्कुल गलत झूठा व गांव की रंजिश के कारण फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 की

धारा 24 की कार्यवाही के ईर्ष्यावश जमीन विवाद के कारण दबाव बनाने हेतु यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 माह देरी से दर्ज करायी गयी है एवं विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट में साधारण चोटें दिखायी गयी है एवं लगभग 1 माह बाद की सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट में गम्भीर चोट दिखायी गयी है। इस प्रकार चोटों की प्रकृति संदेहास्पद एवं दुर्घटना को घटना के रूप में फर्जी जोड़ा गया है। पहले एक्सरे रिपोर्ट में NAD आता है, बाद में Correction किया, गंभीर सवाल उत्पन्न करता है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया गया है। एफ.आई.आर. में लगाये गये आरोप फर्जी है। वादी खुद वादिनी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। यह एफ.आई.आर. की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि बुनियादी लाल वादिनी की भूमि को जोतने नहीं दे रहा है जबकि धारा 24 का आदेश एवं पैमाइश की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। सम्बन्धित मामले की चार्जशीट दि. 05.02.2025 को एवं समनिंग आदेश दि. 17.10.2025 को ए.सी.जे.एम. कक्ष सं.6 इलाहाबाद के न्यायालय भेजा गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना कहां हुयी, किस जगह हुयी, इसके सम्बन्ध में नक्शा नजरी भी नहीं है। इस प्रकार घटना फर्जी एवं मनगढन्त बनायी गयी है। किसी दुर्घटना को घटना के रूप में दिखाया गया है। प्रार्थीगण को थाना पुलिस सरायममरेज मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार करना चाहता है एवं किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सम्बन्धित अभियोग दैनिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी बुनियादीलाल यादव द्वारा दिनांक 15.11.2024 को थाना सरायममरेज में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धर्मराज, रामराज यादव, शेषमणि, जसवन्त एवं नीरज यादव के विरुद्ध अपराध सं. 277/2024, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333 भा.न्या.सं. की प्राथमिकी पंजीकृत की गयी। अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु थाना सरायममरेज में प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र में वादी बुनियादीलाल यादव द्वारा अभिकथित किया गया है कि दिनांक 14.01.2024 समय रात्रि 11.30 बजे विपक्षी धर्मराज, रामराज यादव, शेषमणि, जसवन्त एवं नीरज यादव उसके खेत में अपना ट्रैक्टर ले जाकर जबरदस्ती उसके खेत की जुताई करने लगे। उसने मना किया तो गाली गुप्ता देते हुए उसे व उसकी पत्नी अमृता यादव व उसका भतीजा लालप्रताप, उसकी पतोहू संजू देवी को लाठी डण्डा तथा ईंट पत्थर से मारने लगे। वे लोग जान बचाने के लिए अपने घर में भागे तो विपक्षीगण उन लोगों को घर में घुसकर मारने पीटने लगे। उन लोगों के शोर शराबा करने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये।

अभियोग दैनिकी में संकलित सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा 15.11.2024 को थाना सरायममरेज पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धर्मराज, रामराज यादव, शेषमणि, जसवन्त एवं नीरज यादव के विरुद्ध अपराध सं. 277/2024, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333 भा.न्या.सं. की प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी थी। विवेचना के अन्तर्गत वादी बुनियादी लाल का कथन अंकित किया गया। विवेचक द्वारा आहत बुनियादी लाल की चोटों का चिकत्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया गया जिसमें आहत

को 4 चोटें आना दर्याया गया तथा आयी चोट सं.1 व 3 को पर्यवक्षेण में रखते हुए एक्सरे हेतु टी.बी.सप्रू अस्पताल सन्दर्भित किया गया। आहत बुनियादी लाल के एक्सरे रिपोर्ट में Skull Fracture Rt. side Parietal bone तथा अग्रबाहु के बाएं कलाई में Fracture lower end of Ulan दर्शाया गया है। आहत बुनियादी लाल के सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में चिकित्साधिकारी द्वारा संशोधन करते हुए गंभीर प्रकृति का अंकन किया गया। जिसके सम्बन्ध में विवेचक द्वारा डा. मनोज गुप्ता का कथन किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि बुनियादी लाल का एक्सरे परीक्षण टी.बी.सप्रू अस्पताल से कराया गया तो उनके सिर की पार्श्विक हड्डी व बांये हाथ की कलाई में फ्रैक्चर पाया गया है। उनके द्वारा दिनांक 30.12.2024 को इस सम्बन्ध में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार किया गया था। जिसमें गलती से X Ray Lt Wrist joint Forearm NAD अंकित हो गया है जिसे उनके द्वारा सुधार करके पुनः हस्ताक्षरित किया गया। आहत लाल प्रताप यादव के चिकित्सीय परीक्षण में एक चोट आने, आहत संजू देवी को 4 चोटें आना दर्शित किया गया है। वादी बुनियादी लाल द्वारा विवेचक को दिये अपने बयान में प्राथमिकी के तथ्यों का समर्थन किया गया तथा वादी के निर्देशन पर घटनास्थल का निरीक्षण का उसका नक्शा नजरी बनाया गया। घटना के स्वतन्त्र साक्षी एवं आहतों के कथन अंकित किये गये। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 117(सी), 110 भा.न्या.सं. की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण धर्मराज, रामराज, शेषमणि, जसवन्त व नीरज यादव के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 117(सी), 110 भा.न्या.सं. में प्रेषित किया गया तथा विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा वादी बुनियादीलाल एवं परिवार के अन्य लोगों को मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने का अभियोग है। जिसमें आहत बुनियादी लाल के Skull Fracture Rt. side Parietal bone तथा अग्रबाहु के बाएं कलाई में Fracture lower end of Ulan पाया गया है। अन्य आहतों को भी चोटें पायी गयी हैं। अभियुक्तगण की प्रश्नगत अभियोग में संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Unish Khan Vs. State of U.P. & others, 20023 (123) ACC 828, के प्रकरण में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में अवधारित किया है कि–

It may be kept in mind that anticipatory bail is an extraordinary remedy to be exercised in suitable cases only. The power under Section 438 Cr.P.C. cannot be utilized in a routine manner and definitely not as a substitute for regular bail. This discretionary power calls for existence of facts of the kind where the court is satisfied that its interference is necessary to further the cause of justice and to prevent misuse of process of law

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं विधि के दृष्टिगत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. धर्मराज, 2. रामराज, 3. शेषमणि, 4. जसवन्त एवं 5. नीरज** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध सं.–277/2024, धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 117(सी), 110 भा.न्या.सं., थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

दिनांक 12.03.2026

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.1
प्रयागराज।
J.O. Code– U.P.6279